जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा / अधि.अभि.(रिंगरोड़–प्रथम) / यू.आई.डी. 1001901 / 2019 / डी– 152 दिनांक: 16.9.2019

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर।
कोल डिपो परिसर, पानीपेच,
झोटवाड़ा रोड़, जयपुर।

विषयः– कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ किले रोड़ जंक्शन तक रोप–वे निर्माण हेतु फोरेस्ट ब्लॉक आमेर के वन क्षेत्र में 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Proposal No. FP/RJ/other/26838/2017)।

संदर्भः–कार्यालय उपवन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ ( )सर्वे / उवसंवजी/ 2019–20 / 3658 दिनांक 21.08.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में प्रस्तावित रोपवे निर्माण हेतु फोरेस्ट ब्लॉक आमेर के वन क्षेत्र में 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए अंकित आक्षेपों का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	इस रोप वे के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की 1.33 हैक्टयर भूमि एवं नाहरगढ अभयारण्य की 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। जब जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मैसर्स दामोदर रोप वे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से पूरे लाईसेन्स अवधि के लिए लीज का किराया लाइसेन्स फीस एवं टिकट की बिकी से आय में हिस्सा लिया जा रहा है। तो इसी तरह की लीज किराया एवं टिकट बिकी से आय के सम्बन्ध में वन विभाग का हिस्सा क्यों नही निर्धारित किया गया । क्योकि रोप वे के प्रारम्भ होने पर लोगो की अभयारण्य क्षेत्र में दखल बढेगी, इस हेतु वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। फलस्वरूप रोप वे टिकट बिकी मे कम से कम	वन विभाग द्वारा जो 1.51 हैक्टयर वन भूमि रोप वे निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित की जावेगी उसके एवज में वन विभाग को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि 1.51 हैक्टयर, ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवा रामगढ, जयपुर में दिया जाना प्रस्तावित है। इसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर द्वारा दिया जा चुका है (संलग्न परिशिष्ठ 'अ')। चूँकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एफसीए के अन्तर्गत अधिरोपित समस्त शर्तो की पालना की जाएगी, इसलिए टिकटों की बिकी से आय में वन विभाग का हिस्सा नही बनता है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - +91-141-2569696 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 5143 फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : avinashsharma.jda@rajasthan.gov.in

	15 प्रतिशत राशि की हिस्सेदारी वन विभाग की शामिल की जावे।	
2	Lower Station से Upper Station के मध्य पहाडी क्षेत्र में धोंक का अच्छा जंगल है। इसमें बनने वाले Corridor के अंदर 10 टावर खडे किये जाने है। इस हेतु निर्माण सामग्री को जहां टावर निर्धारण होगा वहां तक पहुचाने हेतु अतिरिक्त रास्ते के विकल्प का उल्लेख प्रस्ताव मे नही किया गया है।	रोप वे निर्माण के लिए वन क्षेत्र में प्रस्तावित 9.0 मीटर चौड़े रोप वे कॉरिडोर एवं वर्तमान में विद्यमान अन्य मार्ग यथा वन क्षेत्र में पगडंडी मार्ग, जयगढ–नाहरगढ रोड़ का ही उपयोग टावर स्थापित करने, अन्य निर्माण कार्य तथा रख रखाव के लिए किया जावेगा। दिनांक 03.04.2014 एवं 01.12.2014 को वन विभाग एवं जविप्रा के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त मौका निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करे (परिशिष्ठ 'ब'), जिसमें इस प्रस्ताव की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि पूर्व में विद्यमान सड़क एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तित होने वाली 9.0 मीटर चौड़ी वन भूमि ही रोप वे के निर्माण एवं रख रखाव के लिए उपयोग में ली जावेगी और अन्य वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र को प्रभावित नही किया जावेगा।
3	विकल्प के तौर पर नाहरगढ एवं जयगढ हेतु सड़क मार्ग पहले से ही उपलब्ध है। फलस्वरूप रोप वे कॉरिडोर के प्रस्तावों में इस आशय का under taking दिया जावे कि रोप वे चालू होने पर Lower Station से Upper Station के बीच सड़क मार्ग बन्द कर दिया जावेगा। ताकि वन क्षेत्र एवं वन्यजीवों पर दोहरा विपरीत प्रभाव नही पडे। सड़क मार्ग एयर फोर्स स्टेशन हेतु बनाया गया है जो मात्र एयर फोर्स हेतु खुला रहे। शेष समय में बेरियर लगाकर सड़क मार्ग बन्द रहे।	दिनांक 03.04.2014 एवं 01.12.2014 को वन विभाग एवं जविप्रा के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त मौका निरीक्षण के पश्चात् परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न रिपोर्ट का अवलोकन करे, जिसमें इस प्रस्ताव की अनुमति निम्नलिखित शर्त पर दी गई थी कि प्रस्तावित upper terminal station के लिए चिन्हित भूमि के अन्दर ही गाडियों की पार्किंग की सुविधा विकसित की जावे एवं कोई भी वाहन सड़क पर खडा ना किया जावे, ताकि नाहरगढ–जयगढ आने वाले पर्यटक वाहनों को कोई असुविधा ना हो। इस रोप वे निर्माण के होने से पर्यटकों के लिए वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र के मनोहारी दृश्य आकर्षण का

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

		केन्द्र रहेगें, परन्तु नाहरगढ–जयगढ आने–जाने वाले पर्यटकों पर यह पाबन्दी लगायी जाना न्यायसंगत नही होगा कि वे आवागमन हेतु सड़क मार्ग के स्थान पर रोप वे का ही उपयोग करे तथा upper terminal station पर पहुचने के उपरान्त नाहरगढ एवं जयगढ किले पर जाने हेतु पदमार्ग का उपयोग करे, क्योकि upper terminal station से दोनो पर्यटक स्थल काफी दूरी पर स्थित है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नाहरगढ एवं जयगढ हेतु पहले से उपलब्ध सड़क मार्ग को बन्द करना न्यायसंगत एवं उचित नही होगा।

—sd—

(अर्चना सिंह)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग,राजस्थान सरकार,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा,जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HOFF), वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
6. निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम,जविप्रा,जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय,जविप्रा,जयपुर।
8. मुख्य वन प्रतिपालक (वन्यजीव), वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (रिंग रोड़),जविप्रा,जयपुर।

16/9/2019

(अविनाश शर्मा)
अधिशाषी अभियंता (रिंग रोड़–प्रथम),
जविप्रा,जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - +91-141-2569696 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 5143 फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : avinashsharma.jda@rajasthan.gov.in

(6)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 232/6, ग्राम लांगड़ियावास, तहसील जमवारामगढ़ का एक हिस्सा है। उक्त खसरे में से पूर्व में घाट की घूणी टनल प्रोजेक्ट हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस प्रस्तावित हिस्से के बगल में आवंटित की गई है। उक्त क्रम में व मौके की भौतिक स्थिति जो कि रेतिली मिट्टी युक्त कन्दरा क्षेत्र है, के अनुसार प्रबंधन की दृष्टि से प्रस्तावित भूमि उपयुक्त है।

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

TRUE COPY
आलोक शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता-रिंग रोड(प्रथम)

छायाप्रति प्रमाणित

अधिशाषी अभियन्ता रिंग रोड
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

परिशिष्ट-8

SITE INSPECTION REPORT OF THE DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST

(Especially highlighting facts asked in col. 7 (XI, XII), 8 and 9 of Form-II)

Date of inspection of site: 03.04.2014

Accompanying officers: 1.Sh.R.K.Sharma, Executive Engineer, Ring Road -1,JDA.

2. Sh.Ulhas Jambholker,Jr.Engg.JDA

The site was inspected with the above officers of Jaipur Development Authority and the Assistant Conservator of Forest and Range Forest Officer of Nahargarh Wildlife Sanctuary.

The project envisages establishment of two stations; Lower station and Upper station. Lower Station is situated outside the Reserve Forest Amer-54 but Upper stations and the 9 meter wide strip between two stations falls in the Forest Land of Reserve Forest Block Amer-54 in the Wildlife Sanctuary Nahargarh.

The protected area of the proposed site in the proposal belongs to Nahargarh Wildlife Sanctuary. It was declared Wildlife Sanctuary vide Government order No.F II (39)raj-8/80 Jaipur,Dated 22.09.1980. The forest area falling in the sanctuary belongs to Reserve Forest Block Amer-54. *The type of forest in the sanctuary is, 5- "Tropical Dry Deciduous Forest" and Group 6" Tropical Thorn Forests."* The Major floral species of the sanctuary is Annogeissus pendula with its associates while Panthera pardus is at the apex of Fauna.

The topography of the proposed site is hilly, undulating having high hills and valleys which are dominated by forest bearing Dhok as the dominant species. User agency has made provision for 9 meter wide strip of land for whole Cable car line with a provision to fix 10 towers in a row. All the points where towers are to be fixed are not connected by the existing road. The strip of forest land proposed for cable car is not well connected to the existing road due to topographical features, therefore, the direct access to the strip of land proposed for construction of Towers for cable car and its operation later on, will not be possible. Though the accompanying officers of JDA assured that no extra land will be required and only the 9 meter wide strip will be used for transportation of the materials to the spot but it seems difficult.

The land required for the upper station is about 3000 sq. m. The visitors,after travelling from lower station to Upper station through rope way, will be moving from Upper station to the further destinations (Nahargarh and Jaigarh Forts,Charan Mandir etc.), for which they will need vehicles, but there is no provision for parking of these vehicles. The Proposer has mentioned that only land within Upper station will be used for parking.

The proposed project may be allowed on following conditions:

1. The existing road and proposed to be diverted strip of forest land only should be used during construction and operation. No other area of Wild life sanctuary should be disturbed.

2. The parking facility for the project at upper station should be developed within the proposed premises of the upper station. In no case the parking at upper station will be allowed outside upper station on the existing road.

Deputy Conservator of Forest
Wildlife ,Jaipur.

SITE INSPECTION REPORT OF THE CONSERVATOR OF FOREST

Date of inspection of site: 01.12.2014
Accompanying officers: 1. Sh. Sanjeev Jain, S.E. JDA Jaipur
2. Sh. S.P.Singh DCF (Wildlife), Jaipur
3. Sh. D.K.Joshi, Assistant Conservator of Forests, Nahargarh Jaipur

The site was inspected with the above officers in the afternoon of December 1, 2014

The project envisages establishment of two stations; Lower station and Upper station. Lower Station is situated outside the Reserve Forest Amer-54 but Upper stations and the 9 meter wide strip between two stations falls in the Forest Land of Reserve Forest Block Amer-54 in the Wildlife Sanctuary Nahargarh.

The protected area of the proposed site in the proposal belongs to Nahargarh Wildlife Sanctuary. It was declared Wildlife Sanctuary vide Government order No.F II (39)raj-8/80 Jaipur, Dated 22.09.1980. The forest area falling in the sanctuary belongs to Reserve Forest Block Amer-54. The *type of forest in the sanctuary is, 5- "Tropical Dry Deciduous Forest" and Group 6" Tropical Thorn Forests*. The Major floral species of the sanctuary is Annogeissus pendula with its associates while Panthera pardus is at the apex of Fauna.

The topography of the proposed site is hilly, undulating having high hills and valleys which are dominated by forest bearing Dhok as the dominant species. User agency has made provision for 9 meter wide strip of land for whole Cable car line with a provision to fix 10 towers in a row. All the points where towers are to be fixed are not connected by the existing road. The strip of forest land proposed for cable car is not well connected to the existing road due to topographical features therefore, the direct access to the strip of land proposed for construction of Towers for cable car and its operation later on, will not be possible. Though the accompanying officers of JDA assured that no extra land will be required and only the 9 meter wide strip will be used for transportation of the materials to the spot but it seems difficult.

The land required for the upper station is about 3000 sq. m. The visitors, after travelling from lower station to Upper station through rope way will be moving from Upper station to the further destinations Nahargarh and Jaigarh Forts, Charan Mandir etc.), for which they will need vehicles, but there is no provision for parking of these vehicles. The Proposer has mentioned that only land within Upper station will be used for parking.

The proposed project may be allowed on following conditions:

1. The existing road and proposed to be diverted strip of forest land only should be used during construction and operation. No other area of Wild life sanctuary should be disturbed.
2. The parking facility for the project at upper station should be developed within the proposed premises of the upper station. In no case the parking at upper station will be allowed outside upper station on the existing road.

1/12/14

(V.S.Bohra)
Conservator of Forests(Wildlife)
Jaipur

छायाप्रति प्रमाणित

अधिशाषी अभियन्ता (सि॰)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

	केन्द्र रहेगें, परन्तु नाहरगढ–जयगढ आने–जाने वाले पर्यटकों पर यह पाबन्दी लगायी जाना न्यायसंगत नही होगा कि वे आवागमन हेतु सड़क मार्ग के स्थान पर रोप वे का ही उपयोग करे तथा upper terminal station पर पहुचने के उपरान्त नाहरगढ एवं जयगढ किले पर जाने हेतु पदमार्ग का उपयोग करे, क्योकि upper terminal station से दोनो पर्यटक स्थल काफी दूरी पर स्थित है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नाहरगढ एवं जयगढ हेतु पहले से उपलब्ध सड़क मार्ग को बन्द करना न्यायसंगत एवं उचित नही होगा।

(अर्चना सिंह)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग,राजस्थान सरकार,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा,जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HOFF), वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
6. निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम,जविप्रा,जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय,जविप्रा,जयपुर।
8. मुख्य वन प्रतिपालक (वन्यजीव), वन विभाग, राजस्थान सरकार,अरण्य भवन, जयपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (रिंग रोड़),जविप्रा,जयपुर।

16/9/19
(अविनाश शर्मा)
अधिशाषी अभियंता (रिंग रोड़–प्रथम),
जविप्रा,जयपुर।

Seeing
19/9/19